



2026:AHC:6614

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19341 वर्ष 2025

अजय पाल सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरुण कुमार, गौरव तिवारी, रजनी कुमारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव त्रिपाठी और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि उन्हें 16.12.1984 को कांस्टेबल पीएसी के रूप में नियुक्त किया गया था और 31.07.2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 29.08.2025 तक पेंशन का भुगतान किया गया था, लेकिन उक्त दिनांक के बाद उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।
4. न्यायालय में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन को वरीयता देने का निर्देश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो माह के भीतर विधि के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 2 को पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद कागजात उस प्राधिकरण को भेजे जाएंगे।

जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।